12-26/11

दिनांक 02.09.2011 को पूर्वाह्न 10:00 बजे महिला हेल्पलाईन एवं अल्पावास गृह के कार्यों की समीक्षा से संबंधित प्रतिवेदन :–

आज दिनांक 02.09.2011 को पूर्वाह्न 10:00 बजे Women Development Corporation द्वारा प्रदत्त राशि से चल रहे महिला हेल्पलाईन एवं अल्पावास गृह की समीक्षा की गयी।

(1) <u>महिला हेल्पलाईन</u> :-

महिला हेल्पलाईन के संचालन हेतु महिला विकास निगम, बिहार, पटना के पत्रांक WDC/2093/09, दिनांक 24.12.2009 द्वारा गायत्री एण्ड लक्ष्मी डेवलपमेंट फाउण्डेशन, बोलबम कटरा, शिवमंदिर चौक, कटिहार का चयन किया गया है जिसके लिए जिला कल्याण पदाधिकारी के पत्रांक 513, दिनांक 26.03.2010 से संबंधित एन0जी0ओ0 को हेल्पलाईन योजना प्रारंभ करने हेतु निदेशित किया गया तथा दिनांक05.07.2010 को अनुदानी संस्था एवं जिला कल्याण पदाधिकारी द्वारा एकरारनामा किया गया। पुनः गायत्री एण्ड लक्ष्मी डेवलपमेंट फाउण्डेशन ने अपने Reference SEC/MUN/192/10, दिनांक 03.06.2010 द्वारा हेल्पलाईन के संचालन हेतु श्री जलधर सिंह, पिता– दुखा सिंह के मकान लल्लु पोखर का चयन किया गया एवं इसकी सूचना जिला कल्याण पदाधिकारी को दी। तदोपरान्त समाहरणालय मुंगेर के कल्याण शाखा के पत्रांक 110, दिनांक 09.07.2010 द्वारा एक वर्ष के अनुमानित व्यय 50 प्रतिशत राशि संबंधित एन0जी0ओ0 को विमुक्त किया गया है एवं दिनांक 15.07.2010 को आयोजित साक्षात्कार में परियोजना प्रबंधक एवं परामर्शी महिला हेल्पलाईन के चयन हेतु बैठक आयोजित की गयी किन्तु एक चयनित परियोजना प्रबंधक एवं एक चयनित परामर्शी द्वारा योगदान नहीं किया गया जिसके कारण आज तक हेल्पलाईन प्रारंभ नहीं हो पाया है। श्री संजय कुमार, जिला परियोजना प्रबंधक, महिला विकास निगम द्वारा बताया गया कि उक्त दोनों चयनित अभ्यर्थी ने संबंधित एन0जी0ओ0 को अपना पदभार ग्रहण नहीं करने की सूचना दी थी, किन्तु एन0जी0ओ0 द्वारा जिला कल्याण पदाधिकारी को इस तथ्य से अवगत नहीं कराया गया। एक अन्य परामर्शी श्री राजकुमार पासवान ने कुछ दिन एन0जी0ओ0 के साथ कार्य किया किन्तु उसके आद बिना सूचना के वे भी अनुपस्थित हो गय। इस प्रकार वर्तमान में महिला हेल्पलाईन पूर्णतः बंद है एवं संबंधित एन0जी0ओ0 द्वारा इसके कार्य करने का कोई प्रयास भी नहीं किया जा रहा है। जिला कल्याण पदाधिकारी ने बताया कि वास्तव में महिला हेल्पलाईन कभी भी कार्यरत् नहीं रही है।

निदेश :-

(i) जिला कल्याण पदाधिकारी, मुंगेर को निदेश दिया जाता है कि संबंधित एन0जी0ओ0 को विमुक्त राशि 15 दिनों के अन्दर Recover करने की कार्रवाई करें एवं राशि नहीं लौटाये जाने पर महिला विकास निगम को संबंधित एन0जी0ओ0 को काली सूची में दर्ज करने का अनुरोध करेंगे।

(ii) महिला हेल्पलाईन को सीधे विभाग द्वारा चलाया जाना उचित प्रतीत होता है। अतः समाहरणालय परिसर में आवश्यकता पड़ने पर महिला हेल्पलाईन के लिए जगह देने का निर्णय लिया जाता है एवं जिला कल्याण पदाधिकारी को निदेश दिया जाता है कि पुनः परियोजना प्रबंधक एवं परामर्शी पद के लिए चयन की कार्रवाई पूर्ण करें। यह भी उल्लेखनीय है कि महिला विकास निगम के पत्रांक WDC/982/10-11, दिनांक 26.08.2010 द्वारा समाहरणालय परिसर में हेल्पलाईन की स्थापना हेतु कार्यालय कक्ष एवं परामर्शी कक्ष उपलब्ध करने का भी अनुरोध किया गया है।

(2) अल्पावास गृह :-

अल्पावास गृह संचालन हेतु नॉवल्टी वेलफेयर सोसायटी, ग्राम+पोस्ट- भलार, जिला-मुंगेर का चयन महिला विकास निगम के पत्रांक WDC/4058/09-10, दिनांक 30.03.2010 द्वारा किया गया है एवं वित्तीय वर्ष 2009-10 के लिए 9,70,000 (नौ लाख सत्तर हजार) रू0 की राशि जिला पदाधिकारी को उक्त आदेश द्वारा भेजी गयी। नॉवल्टी वेलफेयर सोसायटी ने भी अपने पत्र द्वारा अल्पावास गृह के संचालन हेतु उसी मकान का चयन किया जिसका चयन महिला हेल्पलाईन से संबंधित एन0जी0ओ0 ने किया था, अर्थात् श्री जलधर सिंह, पिता- दुखा सिंह, ग्राम+पोस्ट-दरियापुर, लल्लु पोखर के साथ दिनांक

05.07.2010 को एकरारनामा हस्ताक्षरित कर जिला कल्याण पदाधिकारी को सौंपा। तदुपरान्त पुनर्वास एवं प्रशिक्षण पदाधिकारी तथा लिपिक के चयन हेतु किसी योग्य अभ्यर्थी का आवेदन प्राप्त नहीं होने के कारण पुनः दिनांक 20.07.2010 को निदेशक, सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग, बिहार, पटना को विज्ञापन प्रकाशन हेतु भेजा गया।

दिनांक 05.08.2010 को साक्षात्कार में ईशान्या राज का चयन किया गया एवं उनके द्वारा योगदान दिया गया किन्तु उपस्थिति नगण्य रहने के कारण जिला परियोजना प्रबंधक, महिला विकास निगम द्वारा आपत्ति की गयी। तदुपरान्त बिना सूचना के वे

अनुपस्थित भी हो गयी एवं अबतक अनुपस्थित हैं। अतः महिला विकास अल्पावास गृह के लिए पुनर्वास एवं प्रशिक्षण पदाधिकारी का चयन नये सिरे से करना आवश्यक हो जाता है।

<u>निदेश :-</u>

(i) इस निमित्त जिला कल्याण पदाधिकारी को निदेश दिया जाता है कि अल्पावास गृह के लिए खुले पद पर चयन हेतु शीघ्र विज्ञापन भेजकर चयन की कार्रवाई पूरी करायें।

यह उल्लेखनीय है कि एक वर्ष बीत जाने के बाद भी महिला हेल्पलाईन सुचारू रूप से नहीं चलने एवं अन्य कारणों से अल्पावास गृह में एक भी महिला ने एक दिन भी निवास नहीं किया है। इस प्रकार यह एक निष्फल व्यय हो रहा है एवं सरकार की महत्वकांक्षी योजना बंद सी पड़ी दिखायी दे रही है। इन दोनों योजनाओं को शीघ्र सुचारू ढंग से कार्यरत् रहना आवश्यक है।

(ii) अतएव उपरोक्त सभी कार्य एक माह में अवश्य पूरे कर लिये जाय तथा जबतक महिला हेल्पलाईन कार्यरत् नहीं है, कोई महिला अल्पावास गृह मे रहे अथवा नहीं, यह निर्णय जिला कल्याण पदाधिकारी द्वारा स्वयं लिया जाएगा।

(iii) बैठक समाप्ति के पूर्व यह निर्णय लिया गया कि इस मामले की अगली समीक्षा दिनांक 16.09.2011 एवं 01.10.2011 को की जाएगी।

02/09/11

जिला पदाधिकारी
मुंगेर।

ज्ञापांक 2231 /गो0, दिनांक 03/09/2011

प्रतिलिपि : जिला कल्याण पदाधिकारी, मुगेर/जिला परियोजना प्रबंधक, महिला विकास निगम, मुंगेर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

02/09/11

जिला पदाधिकारी
मुंगेर।

ज्ञापांक 2231 /गो0, दिनांक 03/09/2011

प्रतिलिपि : प्रबंध निदेशक, महिला विकास निगम, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

02/09/11

जिला पदाधिकारी
मुंगेर।